न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 146/2018 दायर दिनॉक 11.05.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद अली पुत्र स्व0 कमरूदीन दत्तक पुत्र खाजुबगस जाति शेख मुसलमान निवासी खाटू खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. शेर मोहम्मद पुत्र स्व0 कमरूदीन 2. शमसुदीन पुत्र स्व0 कमरूदीन 3. अल्लाबक्ष पुत्र स्व0 कमरूदीन 4. अलादीन पुत्र स्व0 कमरूदीन 5. दीन मोहम्मद पुत्र स्व0 कमरूदीन 6. बतुल पुत्री स्व0 कमरूदीन 7. बाना पुत्री स्व0 कमरूदीन 8. रमजाना पुत्री स्व0 कमरूदीन 9. लाल मोहम्मद पुत्र स्व0 नबीबक्ष 10. अब्दुल करीम पुत्र स्व0 नबीबक्ष 11. अब्दुल करीम पुत्र स्व0 नबीबक्ष 12. शेरबानों पुत्री स्व0 नबीबक्ष 13. रहमतबानों पुत्री स्व0 नबीबक्ष 14. हसमत पुत्री स्व0 नबीबक्ष 15. शहजाद पुत्र स्व0 चॉद मोहम्मद 16. आमना पुत्री स्व0 चॉद मोहम्मद 17. समीना पुत्री स्व0 निजाम 18. मदीना पुत्री स्व0 निजाम 19. अमीना पुत्री स्व0 निजाम 20. समीम पत्नी स्व0 निजाम समस्त जाति शेख मुसलमान निवासी खाटू खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 21. आशिक अली पुत्री हशनुदीन पुत्र स्व0 गुलाम रसुल 22. जावेद अली पुत्र हशनुदीन पुत्र स्व0 गुलाम रसुल 23. मौसमअली पुत्र हशनुदीन पुत्र स्व0 गुलाम रसुल जाति शेख मुसलमान निवासी रामपुरा बस्ती लालगढ बीकानेर 24. लाल मोहम्मद पुत्र अलादीन जाति शेरानी मुसलमान निवासी शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 25. श्रीमान शाखा प्रबन्धक यु0को0 बैंक शाखा शेरानी आबाद 26. तहसीलदार डीडवाना,

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not ...
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 146/2018
दायर दिनाँक 11.05.2018, निर्णय दिनाँक 07.06.2018
मोहम्मद अली बनाम शेर मोहम्मद, वगैरा।

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 07.06.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, मौजा खाटू खुर्द की सरहद में खेत खसरा संख्या 1143 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खेत ख0नं0 1154 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खेत खसरा सं0 1183 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा व खसरा संख्या 1517 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा कुल रकबा 33 बीघा 07 बिस्वा तथा खेत खसरा सं0 988 रकबा 05 बिस्वा, खेत खसरा संख्या 1033 रकबा 22 बीघा 05 बिस्वा व खेत खसरा संख्या 1068 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 30 बीघा 04 बिस्वा जुमले कुल रकबा 63 बीघा 11 बिस्वा वादी व प्रतिवादीगण सं0 01 ता 20 की पैत्रिक कब्जा काश्त व खातेदारी की जमीन है।

मुतनाजा खेत खसरा संख्या 1143, 1154, 1183, 1517 की खातेदारी अभी तक वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 23 के पिता स्व0 गुलाम रसुल, कमरूदीन, नबीबक्ष व खाजू बक्ष पिता रहीम बगस तथा खसरा सं0 988, 1033, 1068 की खातेदारी में लाल मोहम्मद पुत्र अलादीन व गुलाम रसुल कमरूदीन नबीबक्ष व खाजूबक्ष का नाम दर्ज है। उक्त लाल मोहम्मद पुत्र अलादीन की 1/2 हिस्से की खातेदारी है विरासत नामान्तरकरण वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 20 के नाम दर्ज है।

मुतनाजा खेत खसरा संख्या 1143, 1154, 1183, 1517 की खातेदारी अभी तक वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 23 के पूर्वज स्व0 गुलाम रसुल, स्व0 कमरूदीन, स्व0 नबीबक्ष व स्व0 खाजु बक्ष के नाम से दर्ज है तथा खसरा सं0 988, 1033, 1068 की खातेदारी 1/2 हिस्से की प्रतिवादी सं0 24 लाल मोहम्मद के, 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 23 के पूर्वज स्व0 गुलाम रसुल, स्व0 कमरूदीन, स्व0 नबी बक्ष व स्व0 खाजु बक्ष के नाम से दर्ज है। वादी व प्रतिवादी सं0 01 ता 23 के पूर्वज स्व0 गुलाम रसुल, स्व0 कमरूदीन, स्व0 नबीबक्ष व स्व0 खाजू बक्ष

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 146/2018
दायर दिनाँक 11.05.2018, निर्णय दिनाँक 07.06.2018
मोहम्मद अली बनाम शेर मोहम्मद, वगैरा।

चारों भाईयों का स्वर्गवास हो चुका है। वादी स्व0 खाजु बक्ष का वारिस है तथा प्रतिवादी सं0 01 ता 08 स्व0 कमरूदीन प्रतिवादी सं0 09 ता 20 स्व0 नबीबक्ष व प्रतिवादी सं0 21 ता 23 स्व0 गुलाम रसुल के वारिसान व उत्तराधिकारी है।

प्रतिवादी सं0 23 ता 23 के दादा स्व0 गुलाम रसुल करीब 50 वर्ष पहले अपनी जमीन की कीमत लेकर अपना हिस्सा अपने भाईयों के हक में तर्क कर बीकानेर चले गये। इस कारण मुतनाजा जमीन में प्रतिवादी सं0 21 से 23 का कोई हक अधिकार नहीं है। वादी स्व0 खाजू बक्ष का गौद पुत्र है तथा स्व0 खाजू बक्ष के हिस्से की जमीन जायदाद पर काबिज है। वादी व प्रतिवादी सं0 01 से 20 मुतनाजा जमीन का आपस में मौखिक बंटवारा कर अलग अलग काश्त करते है।

प्रार्थना वादी है कि :–

मौजा खाटू खुर्द के खेत खसरा सं0 1143 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा में से उत्तरी हिस्सा 1/2 हिस्सा स्व0 नबीबगस के वारिसान प्रतिवादी सं0 09 ता 20 के तथा 1/2 दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादी सं0 03 ता 05 के बंट व कब्जा काश्त में रहेगा।

खसरा संख्या 1517 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से 1/2 उत्तरी हिस्सा स्व0 नबी बगस के वारिसान प्रतिवादी सं0 09 ता 20 के तथा 1/2 हिस्सा दक्षिणी भाग प्रतिवादी सं0 03 ता 05 के बंट व कब्जा काश्त में रहेगा।

खसरा संख्या 1154 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा वादी मोहम्मद अली व प्रतिवादी सं0 01 व 02 शेर मोहम्मद व समसुदीन के बंट व कब्जा काश्त में रहेगा।

खसरा सं0 1183 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा में से उत्तरी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 02 समसुदीन, बीच का 1/3 हिस्सा वादी मोहम्मद अली तथा दक्षिणी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 शेर मोहम्मद के बंट व कब्जा काश्त में रहेगा।

खेत खसरा संख्या 1033 रकबा 21 बीघा में से 1/2 दक्षिणी हिस्सा व खसरा सं0 1068 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 दक्षिणी हिस्सा तथा खसरा सं0 988 रकबा 04 बीघा सम्पूर्ण वादी मो0 अली के बंट व कब्जा काश्त में रहेगा तथा खसरा सं0 1033 रकबा 21

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

बीघा में से 1/2 उत्तरी हिस्सा व खसरा सं0 1068 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी सं0 24 लाल मोहम्मद के बंट व कब्जा काश्त में रहेगा।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 21, 22, 23, 25, 26 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी एवं प्रतिवाद संख्या 01 ता 04 06 ता 20 व 24 की ओर से न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प खाटू खुर्द में राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

उभयपक्षकारान् को सुना गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 06 ता 20 व 24 ने राजीनामा पेश कर दिया है तथा राजीनाम अनुसार वाद डिक्री किये जाने पर सहमत हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान् की इस्तदुआ पर मनन् किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया गया।

मजमें आम में वाद में जानकारी ली गयी। वादग्रस्त भूमियों की घोषणा खातेदारी व बन्टवारा बाबत् पक्षकारान् राजीनामा कर चुके हैं। मजमें आम में प्राप्त जानकारी के मुताबिक, पक्षकारान् राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में दावा डिक्री किया जाना न्यायालय के मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद मौजा खाटू खुर्द के खेत खसरा सं0 1143 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा में से उत्तरी हिस्सा 1/2 हिस्सा स्व0 नबीबगस के वारिसान प्रतिवादी सं0 09 ता 20 के तथा 1/2 दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादी सं0 03 ता 05 के बंट व कब्जा काश्त में घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद, संख्या 146/2018
दायर दिनाँक 11.06.2018, निर्णय दिनाँक 07.06.2018
मोहम्मद अली बनाम शेर मोहम्मद, वगैरा।

खसरा संख्या 1517 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से 1/2 उत्तरी हिस्सा स्व0 नबी बगस के वारिसान प्रतिवादी सं0 09 ता 20 के तथा 1/2 हिस्सा दक्षिणी भाग प्रतिवादी सं0 03 ता 05 के बंट व कब्जा काश्त में घोषित किया जाता है।

खसरा संख्या 1154 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा वादी मोहम्मद अली व प्रतिवादी सं0 01 व 02 शेर मोहम्मद व समसुदीन के बंट व कब्जा काश्त में घोषित किया जाता है।

खसरा सं0 1183 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा में से उत्तरी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 02 समसुदीन, बीच का 1/3 हिस्सा वादी मोहम्मद अली तथा दक्षिणी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 शेर मोहम्मद के बंट व कब्जा काश्त में घोषित किया जाता है।

खेत खसरा संख्या 1033 रकबा 21 बीघा में से 1/2 दक्षिणी हिस्सा व खसरा सं0 1068 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 दक्षिणी हिस्सा तथा खसरा सं0 988 रकबा 04 बीघा सम्पूर्ण वादी मो0 अली के बंट व कब्जा काश्त में रहेगा तथा खसरा सं0 1033 रकबा 21 बीघा में से 1/2 उत्तरी हिस्सा व खसरा सं0 1068 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी सं0 24 लाल मोहम्मद के बंट व कब्जा काश्त में घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरान में शेष खातेदारों के नाम हटाये जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खाटू खुर्द

निर्णय, आज दिनाँक **07.06.2018** को सरे कोर्ट कैम्प सिंगरावट कलाँ में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खाटू खुर्द

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 146/2018 दायर दिनाँक 11.05.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद अली पुत्र स्व0 कमरूदीन दत्तक पुत्र खाजुबगस जाति शेख मुसलमान निवासी खाटू खुर्द तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. शेर मोहम्मद पुत्र स्व0 कमरूदीन 2. शमसुदीन पुत्र स्व0 कमरूदीन 3. अल्लाबक्ष पुत्र स्व0 कमरूदीन 4. अलादीन पुत्र स्व0 कमरूदीन 5. दीन मोहम्मद पुत्र स्व0 कमरूदीन 6. बतुल पुत्री स्व0 कमरूदीन 7. बाना पुत्री स्व0 कमरूदीन 8. रमजाना पुत्री स्व0 कमरूदीन 9. लाल मोहम्मद पुत्र स्व0 नबीबक्ष 10. अब्दुल करीम पुत्र स्व0 नबीबक्ष 11. अब्दुल करीम पुत्र स्व0 नबीबक्ष 12. शेरबानों पुत्री स्व0 नबीबक्ष 13. रहमतबानों पुत्री स्व0 नबीबक्ष 14. हसमत पुत्री स्व0 नबीबक्ष 15. शहजाद पुत्र स्व0 चॉद मोहम्मद 16. आमना पुत्री स्व0 चॉद मोहम्मद 17. समीना पुत्री स्व0 निजाम 18. मदीना पुत्री स्व0 निजाम 19. अमीना पुत्री स्व0 निजाम 20. समीम पत्नी स्व0 निजाम समस्त जाति शेख मुसलमान निवासी खाटू खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 21. आशिक अली पुत्री हशनुदीन पुत्र स्व0 गुलाम रसुल 22. जावेद अली पुत्र हशनुदीन पुत्र स्व0 गुलाम रसुल 23. मौसमअली पुत्र हशनुदीन पुत्र स्व0 गुलाम रसुल जाति शेख मुसलमान निवासी रामपुरा बस्ती लालगढ बीकानेर 24. लाल मोहम्मद पुत्र अलादीन जाति शेरानी मुसलमान निवासी शैरानी आबाद तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 25. श्रीमान शाखा प्रबन्धक यु0को0 बैंक शाखा शेरानी आबाद 26. तहसीलदार डीडवाना,

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व-वाद, संख्या 146/2018
दायर दिनाँक 11.05.2018, निर्णय दिनाँक 07.06.2018
मोहम्मद अली बनाम शेर मोहम्मद, वगैरा।

दिनाँक 07.06.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई उपस्थित पक्षकारान् ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वाके सरहद मौजा खाटू खुर्द के खेत खसरा सं0 1143 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा में से उत्तरी हिस्सा 1/2 हिस्सा स्व0 नबीबगस के वारिसान प्रतिवादी सं0 09 ता 20 के तथा 1/2 दक्षिणी हिस्सा प्रतिवादी सं0 03 ता 05 के बंट व कब्जा काश्त में घोषित किया जाता है।

खसरा संख्या 1517 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा में से 1/2 उत्तरी हिस्सा स्व0 नबी बगस के वारिसान प्रतिवादी सं0 09 ता 20 के तथा 1/2 हिस्सा दक्षिणी भाग प्रतिवादी सं0 03 ता 05 के बंट व कब्जा काश्त में घोषित किया जाता है।

खसरा संख्या 1154 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा वादी मोहम्मद अली व प्रतिवादी सं0 01 व 02 शेर मोहम्मद व समसुदीन के बंट व कब्जा काश्त में घोषित किया जाता है।

खसरा सं0 1183 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा में से उत्तरी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 02 समसुदीन, बीच का 1/3 हिस्सा वादी मोहम्मद अली तथा दक्षिणी 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 01 शेर मोहम्मद के बंट व कब्जा काश्त में घोषित किया जाता है।

खेत खसरा संख्या 1033 रकबा 21 बीघा में से 1/2 दक्षिणी हिस्सा व खसरा सं0 1068 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 दक्षिणी हिस्सा तथा खसरा सं0 988 रकबा 04 बीघा सम्पूर्ण वादी मो0 अली के बंट व कब्जा काश्त में रहेगा तथा खसरा सं0 1033 रकबा 21 बीघा में से 1/2 उत्तरी हिस्सा व खसरा सं0 1068 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी सं0 24 लाल मोहम्मद के बंट व कब्जा काश्त में घोषित किया जाता है तथा उक्त खसरान में शेष खातेदारों के नाम हटाये जाते है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री जारी हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 146/2018
दायर दिनाँक 11.05.2018, निर्णय दिनाँक 07.06.2018
मोहम्मद अली बनाम शेर मोहम्मद, वगैरा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.06.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खादू खुर्द

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फिस कमिश्नर		
खर्चा गवाहान			बाबत इजराय		
फिस कमिश्नर			हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खादू खुर्द

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः—146—2018 / रीडर / 2018 / 56 दिनांक 13/6/18

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद अली पुत्र स्व0 कमरूदीन दत्तक पुत्र खाजुबगस जाति शेख मुसलमान निवासी खाटू खुर्द तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. शेर मोहम्मद पुत्र स्व0 कमरूदीन वगैराह समस्त जाति शेख मुसलमान निवासी खाटू खुर्द तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—खाटू खुर्द

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner